

गौरां विकासा प्राणिवृत्ता

की

20वीं बोर्ड बैठक

दिनांक 28-2-83

का

कार्यग्रन्थ

## मेरठ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 28-2-83

समय : प्रातः 11-00 बजे

स्थान : कार्यालय आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ ।

उपस्थिति :

|                         |                                 |           |
|-------------------------|---------------------------------|-----------|
| 1- श्री आर०डी० सोनकर    | आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ ।      | अध्यक्ष   |
| 2- श्री ओ०पी०शर्मा      | उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण | उपाध्यक्ष |
| 3- श्री टी० जार्ज जोसेफ | जिलाधिकारी                      | सदस्य     |
| 4- श्री के०के०सिन्हा    | उपसचिव, वित्त विभाग             | सदस्य     |
| 5- श्री जे०पी०गुप्ता    | अधिद० अभिद०, जलनिगम ।           | सदस्य     |
| 6- श्री सी०डी०माथुर     | अधीक्षण अभियन्ता, जलनिगम        | सदस्य     |
| 7- श्री रामसिंह अग्रवाल | अधीक्षण अभियन्ता, सा०नि०वि०     | सदस्य     |
| 8- श्री बी०एस०सक्सैना   | अपर निदेशक, उद्योग, मेरठ ।      | सदस्य     |
| 9- श्री पी०के०गोयल      | एशोसिएट प्लानर, मेरठ ।          | सदस्य     |

निम्नलिखित विशेष आमन्त्री थे -

- 1- श्री एस०पी०गोयल                   क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, सा०नि०वि०, मेरठ ।
- 2- श्री आर०पी० मित्तल                   तकनीकी सलाहकार, विकास प्राधिकरण, मेरठ ।

उपर्युक्त के अतिरिक्त प्राधिकरण के निम्न अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे :-

- 1- श्री धर्मेन्द्र देव                   सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ ।
- 2- श्री माधव स्वरूप श्रीवास्तव   उपसचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ ।
- 3- श्री ओ०पी०सिंह                   अधिशासी अभियन्ता, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ ।
- 4- श्री चन्द्रकिरण सिंह               वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, मे०वि०प्रा०, मेरठ ।
- 5- श्री भारत भूषण                   वास्तुविद नियोजक, मे०वि०प्रा०, मेरठ ।
- 6- श्री जगेशकुमार                   सहायक वास्तुविद, मे०वि०प्रा०, मेरठ ।
- 7- श्री मौ० अकबर बर्नी, श्री मूकुन्द कुमार श्रीवास्तव, श्री वी०के०गोयल तथा श्री वी०के०अग्रवाल, सहायक ऑफिसर ।

मूर्ति के लिये शासन दे अनुपालन प्राप्त करने का आवश्यक विधान है। अभी तक शासन दे अनुपालन प्राप्त नहीं हुई है इसलिए प्रदोषक दे भासन का विधान देना चाहिए। इस विधान का उत्तर सिविल लिया गया कि अनुपालन की स्वीकृति का विवरण देने के लिए विधान दे भासन का विधान देना चाहिए।

### कार्यवाही का विवरण

#### **मद संख्या -1**

गत बैठक के कार्यवृत्त की कार्यवाही की पुष्टि।

गत बैठक का कार्यवृत्त प्रस्तुत किया गया। इस कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

#### **मद संख्या -2**

गत बैठक दिनांक 21-8-82 के निर्णयों पर की गयी अनुपालन कार्यवाही की आख्या।

गत बैठक दिनांक 21-8-82 के निर्णयों पर की गयी अनुपालन कार्यवाही की समीक्षा की गयी। 79 अनाधिकृत कालोनियों में से 65 कालोनियाँ नियमित की जा चुकी हैं तथा 14 कालोनियाँ विभिन्न कारणों से नियमन के योग्य नहीं पायी गयी उनमें से 4 कालोनियाँ खाली भूमि पर पायी गयी जिनके नियमन का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। यह निर्देश दिया गया कि ऐसी कालोनियों के तलपट मानचित्र सामान्य नियम के अनुसार तैयार करायें जायें और उनकी स्वीकृति पर विचार किया जाये। यह भी निर्देश दिया गया कि जो कालोनियाँ सीलिंग की भूमि के कारण नियमित नहीं की गयी हैं, उनकी सूचना सक्षम अधिकारी, नगर भूमि सीमारोपण, मेरठ को भेजी जाये और उनसे अनुरोध किया जाये कि वे बेदखली की कार्यवाही करें।

महायोजना में निर्धारित भू-उपयोग के विरुद्ध विकसित तथा नियमित की गयी कालोनियों के भूउपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में हुई प्रगति की समीक्षा की गयी। ऐसी कुल 40 कालोनियाँ हैं। सभी कालोनियों का सर्वेक्षण हो गया है जबकि 30 कालोनियों के संशोधन प्रस्ताव भी तैयार हो गये हैं। यह निर्देश दिया गया कि सभी प्रस्ताव शासन को भेज दिये जायें और शेष प्रस्ताव शीघ्रतापूर्वक तैयार किये जायें तथा जो जो प्रस्ताव तैयार होते जायें वह शासन को तत्काल भेज दिये जायें।

महायोजना के संशोधन के लिये स्थापित प्रथम प्रकोष्ठ के व्यय का पूर्ति के लिये शासन से अनुदान प्राप्त करने के प्रयत्नों की समीक्षा की गयी। अभी तक शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है जबकि प्रकोष्ठ ने अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया है। इस सम्बन्ध में यह निर्णय किया गया कि अनुदान की स्वीकृति के लिये उपसचिव, वित्त विभाग श्री के०के०सिन्हा जो बैठक में उपस्थित थे, का सहयोग प्राप्त किया जाये।

सूरजकुण्ड को पर्यटन स्थली के रूप में विकसित करने की योजना के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की गयी। कुण्ड में सीपेज की समस्या को हल करने के लिये रुडकी विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों को यह परामर्श दिया है कि फर्श को सीमेन्ट कंकरीट से पक्का करना आवश्यकता है। इस पर अनुमानतः 25 लाख रुपये व्यय होंगे। प्राधिकरण अपने स्नोतों से इतनी बड़ी धनराशि की व्यवस्था नहीं कर सकता। अतः यह निर्णय किया गया कि इस कार्य के लिये पृथक परियोजना तैयार की जाये तथा उसके आधार पर राज्य सरकार के पर्यटन विभाग, आवास विभाग तथा भारत सरकार के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग से अनुदान अथवा ऋण की माँग की जाये।

प्राधिकरण के कर्मचारियों के लिये सेवा नियम बनाने की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा की गयी। शासन की आदर्श नियमावली अभी तैयार नहीं हुई है तथा उसकी प्रतीक्षा में प्राधिकरण यह विनियम नहीं बना सकता है। यह पता चला है कि यह नियमावली शासन के आवास विभाग, वित्त विभाग तथा विधि विभाग के मध्य विचाराधीन है। अतः यह निर्णय किया गया कि इस कार्य में शीघ्रता लाने के लिये उप-सचिव, वित्त विभाग श्री के०के०सिन्हा जो बैठक में उपस्थित थे, का सहयोग प्राप्त किया जाये।

निर्माणाधीन आवासीय बस्तियों के नामकरण के सम्बन्ध में हुई प्रगति की समीक्षा की गयी। यह विदित हुआ कि उपाध्यक्ष ने पिछली बैठक के निर्णय के अनुसरण में मोहनपुरी आवासीय योजना, भूमिया पुल आवासीय योजना तथा मोदीपुरम आवासीय योजना के लिये क्रमशः विकास बिहार, आलोक बिहार तथा स्वाधीन बिहार नाम तय किये हैं। यह अनुभव किया गया कि प्रथम

दो नाम सर्वथा उपयुक्त है किन्तु स्वाधीन बिहार नाम उचित नहीं है । यह तय किया गया कि उसके स्थान पर उपाध्यक्ष दूसरा उपयुक्त नाम रखें ।

### मद संख्या -3

निर्माणाधीन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा ।

विभिन्न निर्माणाधीन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गयी तथा निम्नलिखित स्थिति पायी गयी :-

#### (1) कार्यालय केन्द्र "विकास भवन" निर्माण योजना ।

इस भवन का प्रथम चरण जिसकी अनुमानित लागत 30 लाख रुपये है को पूर्ण करने का लक्ष्य अक्टूबर, 1982 था किन्तु नगर में हुए साम्रादायिक दंगों के कारण तथा रुडकी विश्वविद्यालय से तकनीकी परामर्श प्राप्त होने में बिलम्ब के कारण निर्माण कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा । अगस्त, 1982 से अक्टूबर, 1982 तक प्रगति अवरुद्ध रही । नवम्बर से कार्य पुनः प्रारम्भ कर दिया गया तथा पूर्ण करने का लक्ष्य 31-3-83 निर्धारित किया गया है । इस भूमि का प्रतिकर भी अभी निर्धारित नहीं हुआ है । इस भवन के निर्माण पर अब तक 22.422 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं । यह निर्देश दिया गया कि चूँकि इस भवन में प्राधिकरण का कार्यालय भी स्थापित होना है अतः दिनांक 31-3-83 तक उसका निर्माण अवश्य पूर्ण कर लिया जाये । यह भी निर्देश दिया गया कि जिलाधिकारी से प्रतिकर का निर्धारण भी शीघ्रता से कराया जाये ।

#### (2) भूमियापुल आवासीय एवं व्यवसायिक योजना

इस योजना के अन्तर्गत 36 मिनी एम०आई०जी० तथा 72 एल०आई०जी० भवनों का निर्माण हुआ है । योजना की अनुमानित लागत 24.37 लाख रुपये है । हड्डों से इसके लिये 17.97 लाख रुपये का ऋण प्राप्त हुआ है । अब तक 34 मिनी एम०आई०जी० तथा 52 एल०आई०जी० भवनों का निर्माण पूरा हो चुका है जबकि 16 एल०आई०जी० भवनों का निर्माण छत तक पूरा हुआ है । 1 एम०आई०जी० तथा 4 एल०आई०जी० भवनों का निर्माण भूमि पर अतिक्रमण के कारण आरम्भ नहीं हो सका है । इस योजना

का कार्य साम्रादायिक दंगों के कारण अगस्त से अक्टूबर तक बन्द रहा। इसको पूर्ण करने का नया लक्ष्य जून, 1983 है। इस भूमि का प्रतिकर अभी तक निर्धारित नहीं हुआ है। योजना पर अब तक 7.107 लाख रुपये व्यय हो चुके हैं। यह निर्देश दिया गया कि अतिक्रमण वाली भूमि पर जिला प्रशासन की सहायता से आवश्यक कब्जा प्राप्त किया जाये तथा शेष भवनों का निर्माण आरम्भ किया जाये। यह भी निर्देश दिया गया कि जिलाधिकारी से प्रतिकर शीघ्रतापूर्वक निर्धारित कराया जाये।

### (3) मोहनपुरी आवासीय योजना

इस योजना के अन्तर्गत 6.88 एकड़ भूमि अध्यापित की गयी है जिस पर मध्यम आय वर्ग के 68 भूखण्डों तथा 10 व्यवसायिक भूखण्डों का विकास किया जा रहा है। विकास की अनुमानित लागत लगभग 10 लाख रुपये है। योजना को पूर्ण करने का लक्ष्य दिसम्बर, 1982 था परन्तु दंगों के कारण 3 माह तक कार्य रुका रहा। पुनरीक्षित लक्ष्य 31-3-83 रखा गया है। विकास कार्य पर अब तक सात लाख रुपये का व्यय हो चुका है। भूखण्डों का आबंटन अभी तक नहीं हो सका है क्योंकि भूमि का अन्तिम मूल्य जिला भूमि अध्यापित अधिकारी से अभी तक प्रतीक्षित है। मुख्य सम्पर्क मार्ग का निर्माण भी रुका पड़ा है क्योंकि स्थल पर कुछ घरों में लोग रह रहे हैं जिन्हें कब्जा देते समय हटाया नहीं गया था। विचार करने के उपरान्त यह निर्देश दिया गया कि भूमि का अन्तिम मूल्य जिलाधिकारी को शीघ्र निर्णीत कर भेजने का पुनः अनुरोध किया जाये और भूखण्डों का आबंटन शीघ्रतापूर्वक किया जाये। यह भी निर्देश दिया गया कि सम्पर्क मार्ग के जिस भाग पर लोग रह रहे हैं उन्हें हटाने के लिये जिला प्रशासन को पुनः सहायता करने का अनुरोध किया जाये।

### (4) मोदीपुरम आवासीय योजना

चालू वित्तीय बर्ष में इस योजना के अन्तर्गत दुर्बल आय वर्ग के 200 भवनों का निर्माण प्रस्तावित था जिसके लिये शासन से 32 लाख रुपये का ऋण प्राप्त हुआ है। स्थल पर गत्रे की फसल खड़ी होने के कारण तथा कृषकों के भारी प्रतिरोध के कारण भौतिक कब्जा काफी समय तक प्राप्त नहीं हो सका।

जिसकी वजह से यह कार्य यथासमय आरम्भ नहीं हुआ। अब कृषकों को प्रतिकर दिलाया जा रहा है जिसकी वजह से प्रतिरोध में कमी आयी है और दुर्बल आय वर्ग के भवनों के निर्माण के लिये कुछ भूमि पर भौतिक कब्जा प्राप्त हो गया है। तदनुसार भवनों का निर्माण आरम्भ कर दिया गया है। शेष भाग पर रबी तथा गन्ने की फसल कट जाने पर कार्य आरम्भ हो सकेगा। सड़क के निर्माण के लिये मिट्टी की निविदायें स्वीकृत की जा चुकी हैं। यह निर्देश दिया गया कि इस योजना का विस्तृत तलपट मानचित्र शीघ्रतापूर्वक तैयार कर लिया जाये ताकि यह निश्चित हो सके कि स्थल पर किस प्रकार के कितने भवन बनेंगे तथा किस स्थल पर भूखण्ड विकसित किये जायेंगे तथा कहाँ सड़कें रहेंगी तथा कहाँ खुला क्षेत्र। यह भी निर्देश दिया गया कि गन्ना तथा रबी की फसले कटते ही जिला प्रशासन के सहयोग से सम्पूर्ण योजना स्थल पर वास्तविक कब्जा स्थापित किया जाये और एक साथ सभी ओर सड़कों का निर्माण आरम्भ कर दिया जाये।

#### मद संख्या-4

प्रस्तावित योजनाओं की भी समीक्षा की गयी तथा निम्नलिखित निर्णय किया गया-

#### (1) जवाहर क्वार्टर्स योजना

इसके अन्तर्गत 1.29 एकड़ भूमि मध्यम आय वर्ग के आवासीय भवनों के लिये अर्जित की जा रही है। धारा-4 और 6 की विज्ञप्तियाँ हो चुकी हैं किन्तु कब्जे से पूर्व माननीय उच्च न्यायालय ने रिट याचिका के कारण स्थगन आदेश दिया है। दिनांक 27-5-82 को रिट याचिका के शीघ्र निस्तारण के लिये उच्च न्यायालय में प्रार्थना-पत्र दिया जा चुका है। यह निर्देश दिया गया कि शीघ्र निस्तारण के लिये उच्च न्यायालय में पुनः प्रार्थना-पत्र दिया जाये।

#### (2) बेगमबाग आवासीय योजना -

इस योजना के अन्तर्गत 2 एकड़ भूमि मध्यम आय वर्ग के आवासों के लिये अर्जित की जा रही है। धारा - 4 और 6 की विज्ञप्तियाँ प्रकाशित हो चुकी

है। कब्जा मिलने से पूर्व उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर हो गयी जिसके आधार पर आगे की कार्यवाही बन्द हो गयी। उच्च न्यायालय के आदेशों की आड में भूस्वामियों ने श्री जी०एस०कालरा, प्रापर्टी डीलर को पॉवर ऑफ एटार्नी देकर भूमि का हस्तान्तरण कर दिया तथा जिन लोगों ने भूमि खरीदी है उन्होंने निर्माण शुरू कर दिया है। जब प्राधिकरण ने इन निर्माणों को गिराने की कार्यवाही आरम्भ की तब उच्च न्यायालय ने इस आशय के आदेश दे दिये कि जो मकान बन चुके हैं उन्हें न गिराया जाये। यह आदेश अगस्त, 1982 में पारित हुए है। भूस्वामियों को भी यह निर्देश दिया गया है कि वे भूमि का स्वरूप नहीं बदलेंगे किन्तु इस आदेश के बाबजूद श्री कालरा बैनामादारों के द्वारा निर्माण करवा रहे हैं। इस कार्य के लिये उनके विरुद्ध उच्च न्यायालय में न्यायालय की अवमानना की कार्यवाही आरम्भ कर दी गयी है तथा इसी आधार पर रिट याचिका के शीघ्र निस्तारण का अनुरोध भी किया जा चुका है। विचारोपरान्त यह निर्णय किया गया कि अगस्त के बाद इस स्थल पर जो निर्माण हुआ है उसको गिराने की कार्यवाही तेजी के साथ की जाये।

### (3) हापुड रोड आवासीय योजना

इस योजना के अन्तर्गत 87 बीघा 19 बिस्वांसी भूमि अर्जित करने का प्रस्ताव है। घारा-4 और 5 की विज्ञप्तियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं। कब्जा मिलने से पूर्व रिट याचिका दायर हो गयी और उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश प्राप्त हुए। भूस्वामी इन आदेशों की आड में भूमि का हस्तान्तरण कर रहे हैं तथा मकान बनवा रहे हैं। इस आधार पर रिट याचिका के शीघ्र निस्तारण के लिये उच्च न्यायालय में आवेदन पत्र दिया जा चुका है। उच्च न्यायालय के इस आदेश भी पारित कराये जा चुके हैं कि भूस्वामी भूमि का स्वरूप नहीं बदलेगा। विचारोपरान्त यह निर्णय किया गया कि माननीय उच्च न्यायालय में शीघ्र निस्तारण का प्रार्थना-पत्र पुनः दे दिया जाये।

#### (4) राजकीय इन्टर कालेज की भूमि पर व्यवसायिक तथा आवासीय योजना-

इस योजना के अन्तर्गत बेगम ब्रिज बाजार के समीप राजकीय इन्टर कालेज के क्रीड़ा स्थल में से 35 फुट चौड़ी पट्टी की भूमि शिक्षा विभाग से लेकर धरातल पर 44 दूकानें तथा प्रथम व द्वितीय तल पर क्रमशः कार्यालय तथा राजकीय इन्टर कालेज के अध्यापकों के आवास बनाने का प्रस्ताव है। यह योजना शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुरोध पर तैयार की गयी थी। मूलतः यह विचार था कि भूमि निःशुल्क हस्तान्तरित की जायेगी तथा उसके बदले में प्राधिकरण जो आवासीय भवन बनायेगा वह वेतन के 10 प्रतिशत किराये पर राजकीय इन्टर कालेज के अध्यापकों को ही देगा। इसके बाबजूद शासन के शिक्षा विभाग ने यह निश्चय किया है कि भूमि का हस्तान्तरण सारभूत धनराशि लेकर होगा। तदनुसार जिलाधिकारी, मेरठ से सारभूत धनराशि के सम्बन्ध में आख्या माँगी गयी है। यह अनुभव किया गया कि यदि इस भूमि के लिये सारभूत धनराशि देनी पड़ेगी तो यह योजना लाभदायक नहीं होगी। ऐसी स्थिति में शासन को उपाध्यक्ष द्वारा यह स्पष्ट कर दिया जाये कि या तो भूमि निःशुल्क या प्रतीक धनराशिलेकर हस्तान्तरित की जाये या यदि सारभूत धनराशि पर हस्तान्तरण होगा तो प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि कि वह इस भूमि पर बनाये हुए आवासीय भवन बाजार में प्रचलित किराये की दरों पर दें। यदि अध्यापक इतना किराया नहीं दे पायेंगे तो दूसरों को मकान उठाने की स्वतन्त्रता होगी।

#### (5) मलियाना आवासीय योजना-

इस योजना के अन्तर्गत बागपत रोड पर ग्राम मलियाना में 24 बीघा 1 बिस्वा 10 बिस्वांसी ग्रामीण सीलिंग की भूमि हस्तान्तरित कराकर दुर्बल आय वर्ग तथा अल्प आय वर्ग के लोगों की बस्ती बनाने का प्रस्ताव है। जिलाधिकारी की ओर से तदनुसार प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है किन्तु राजस्व विभाग के आदेश प्रतीक्षित हैं। यह निर्देश दिया गया कि शीघ्र आदेश प्राप्त करने के लिये उपाध्यक्ष द्वारा विशेष सचिव, राजस्व श्री शम्भुनाथ जो प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रह चुके हैं, को लिखा जाये।

### (6) सरधना रोड आवासीय योजना-

सरधना रोड पर ग्राम दाँतल में 83 बीघा 2 बिस्वा 17 बिस्वांसी भूमि जो ग्रामीण सीलिंग में अतिरिक्त घोषित है, शासन से हस्तान्तरित कराकर अल्प आय वर्ग तथा दुर्बल आय वर्ग के लोगों के लिये आवासीय भूखण्ड तथा आवासीय भवन विकसित करने का प्रस्ताव है। यह निर्देश दिया गया कि इस सम्बन्धमें भी विशेष सचिव, राजस्व विभाग का ध्यान आकर्षित किया जाये।

### (7) मेरठ - दिल्ली तथा मेरठ - हापुड रोड के बीच स्थित भूमि पर भवनों की योजना-

इस योजना के अन्तर्गत मेरठ - दिल्ली तथा मेरठ - हापुड रोड के बीच स्थित तथा महायोजना में आवासीय उपयोग एवं रिंग रोड के लिये निर्धारित भूमि क्षेत्रफल 1857 बीघा को अर्जित करने का प्रस्ताव है। यह प्रस्ताव दिनांक 25-7-80 को जिला भूमि अध्याप्ति अधिकारी के पास भेजा गया था। एक बर्ष के बाद प्रस्ताव आपत्तियों सहित वापस आया। इन आपत्तियों का निराकरण किया जा रहा है। इस बीच भूमि पर बहुत से मकान बन गये हैं। अतः सुविधा की दृष्टि से मूल प्रस्ताव को तीन भागों में बाँटकर प्रस्तुत किया जायेगा। एक भाग रिंग रोड का और दो भाग रोड के दोनों तरफ उपलब्ध भूमि में आवासीय योजना का। योजना का विस्तृत तलपट मानचित्र भी तदनुसार संशोधित कराया जा रहा है। विचारोपरान्त यह निर्देश दिया गया है कि सम्भवः यह भूमि उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद द्वारा भी अर्जित की जा रही है। अतः प्रस्ताव भेजने से पूर्व परिषद से जानकारी कर ली जाय ताकि निर्धक कार्यवाही न हो। यह भी निर्देश दिया गया कि यदि परिषद इस भूमि का अर्जन कर रहा है तो रिंग रोड में आने वाली भूमि का अर्जन भी परिषद से कराया जाय अन्यथा प्राधिकरण को कोई लाभ नहीं होगा।

## मद संख्या - 5

चालू बर्ष में किये गये नियन्त्रणात्मक कार्य की समीक्षा।

चालू बर्ष में किये गये नियन्त्रणात्मक कार्य की समीक्षा की गयी। यह विदित हुआ कि 1-4-82 को मानचित्र स्वीकृति के 1884 अनिस्तारित प्रार्थना-पत्र थे। उनमें से 1143 प्रार्थना-पत्र और प्राप्त हुए। इस निस्तारण के लिये कुल प्रार्थना-पत्रों की संख्या 2777 हो गयी। दिसम्बर में विशेष कार्य के निस्तारण के लिये विशेष अभियान आरम्भ किया गया जिसके परिणामस्वरूप दिनाँक 15-2-83 तक 2309 प्रार्थना-पत्र निस्तारित हो चुके हैं और मात्र 468 प्रार्थना-पत्र शेष रह गये हैं।

अनाधिकृत विकास के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही की समीक्षा की गयी। चालू बर्ष में ऐसे 1169 अनाधिकृत निर्माणों के सम्बन्ध में अभियोग दायर किये जा चुके हैं जबकि 1980-81 तथा 81-82 में दायर किये गये अभियोगों की संख्या क्रमशः 334 और 37 थी। इनमें से 176 अभियोग ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध दायर किये गये हैं जो कालोनाईजर्स हैं और जिन्होंने तलपट मानचित्र स्वीकृत कराये बिना कालोनियों का विकास किया है। इन कालोनाईजर्स में बाँछित नागरिक सुविधायें भी उपलब्ध नहीं करायी गयी हैं जिसकी वजह से वहाँ सड़क, पार्क, नाली, बिजली इत्यादि का अभाव हैं। प्राधिकरण ने इस प्रकार अनाधिकृत रूप से विकसित 65 कालोनियों को मानवीय आधार पर नियमित कर दिया है तथा भवन निर्माण से रु० 15/- प्रति वर्गमीटर के हिसाब से विकास व्यय वसूल करके नाली और खड़ंजे की न्यूनतम सुविधा उपलब्ध कराने का निश्चय किया है तदनुसार विकास व्यय वसूल किया जा रहा है। किन्तु जिन कालोनियों से विकास व्यय वसूल नहीं होगा उनमें कालोनाईजर्स के विरुद्ध धारा -33 उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की कार्यवाही की जायेगी, जिसके अन्तर्गत उन्हें विकास कार्य पूरा करने के लिये बाध्य किया जा सकता है तथा विकास कार्य की लागत कालोनाईजर्स से भू-राजस्व के बकाया की तरह वसूल की जा सकती है। इस कार्य के लिये कालोनियों का सर्वेक्षण भी कराया जा रहा है ताकि यह मालूम हो सके कि किस कालोनी में मितना काम करना है और उसकी लागत क्या

होगी। इस सर्वेक्षण के बाद जो विकास व्यय भवन निर्माताओं से प्राप्त हो जायेगा उसे घटाकर शेष धनराशि कालोनाईजर्स से वसूल की जायेगी।

प्राधिकरण ने 222 भवनों को गिराने के आदेश भी जारी किये थे जिनमें से 153 भवन गिराये जा चुके हैं और 69 भवन गिराये जाने शेष हैं। गिराने का अन्तिम अभियान मई 1982 में चला था। उसके बाद विभिन्न कारणों से पुलिस सहायता न मिल सकी।

विस्तारपूर्वक विचार करने के उपरान्त यह निर्णय किया गया कि कालोनाईजर्स के विरुद्ध उपर्युक्त कार्यवाही शीघ्रता के साथ की जाये और अनाधिकृत निर्माणों को गिराये का अभियान भी पुनः चालू किया जाये।

### मद संख्या - 6

एक सहायक वास्तुविद्, दो आशुलिपिक तथा 13 अनुचरों के नये पदों के सृजन का प्रस्ताव।

विभिन्न योजनाओं पर एक साथ तलपट मानचित्र तैयार होने हैं जबकि मोदीपुरम आवासीय योजना में विस्तृत तलपट मानचित्र तथा विभिन्न भवनों के प्रकल्प तैयार किये जाने हैं। इस विशाल कार्य को करने के लिये एक सहायक वास्तुविद् की आवश्यकता बतायी गयी। विचारोपरान्त इस पद का उचित औचित्य पाया गया तथा स्वीकृति प्रदान की गयी।

उपाध्यक्ष के लिये एक आशुलिपिक की माँग सर्वथा उचित पायी गयी। अतः उनके लिये एक आशुलिपिक का पद स्वीकृत किया गया।

वरिष्ठ लेखाधिकारी के लिये भी एक आशुलिपिक की माँग की गयी किन्तु उपसचिव, वित्त विभाग श्री के०के० सिन्हा की आपत्ति पर विचार करने के उपरान्त यह निर्णय किया गया कि फिलहाल वरिष्ठ लेखाधिकारी के लिये आशुलिपिक का पद सृजित करने की आवश्यकता नहीं है किन्तु उनके बजाय उप-सचिव के लिये एक आशुलिपिक का पद सृजित किया जा सकता है जो बाद सम्बन्धी कार्य करते हैं। तदनुसार उनके लिये एक आशुलिपिक का पद स्वीकृत किया गया।

शासन द्वारा स्वीकृत स्टाफिंग पैटर्न के आधार पर वर्तमान समय में चतुर्थ श्रेणी के 24 पदों का औचित्य दर्शाया गया जिनमें से 11 पद सृजित हैं।

और 13 पद सृजित करने की माँग की गयी। यह भी स्पष्ट किया गया कि इन 13 पदों का कार्य वर्तमान समय में दैनिक वेतन पर रखे गये अनुचरों से कराया जा रहा है। पूर्णकालिक चौकीदार का एक पद स्वीकृत किया गया। यह भी अनुभव किया गया कि नये भवन में कार्यालय स्थानान्तरित हो जाने पर स्वच्छक की वर्तमान अंशकालिक व्यवस्था अपर्याप्त सिद्ध हो जायेगी। अतः एक स्वच्छक का पूर्णकालिक पद होना आवश्यक है। तदनुसार स्वच्छक का एक पद स्वीकृत किया गया।

जहाँ तक अनुचरों का सम्बन्ध है, उपसचिव, वित्त विभाग श्री के० के० सिन्हा ने इस माँग के औचित्य की गहरायी से परीक्षा करने की आवश्यकता पर जोर दिया। तदनुसार यह निर्णय किया गया कि श्री के० के० सिन्हा, उपसचिव, वित्त विभाग इस माँग के औचित्य की परीक्षा करके एक महीने के भीतर अपनी सम्मति प्रकट करें। जितने पदों का औचित्य इस परीक्षा के उपरान्त पाया जायेगा उतने पद स्वीकृत माने जायेंगे।

### मद संख्या - 7

स्नातकोत्तर तकनीकी शिक्षा वाले कर्मचारियों को स्नातकोत्तर भत्ते की स्वीकृति का प्रस्ताव।

यह प्रस्ताव है कि वास्तुविदिय तथा अभियन्त्रणीय पदों पर नियुक्ति के लिये निर्धारित न्यूनतम स्नातकोत्तर योग्यता से अधिक योग्यता वाले अभ्यर्थी भी भर्ती के समय आवेदन करते हैं तथा अधिक योग्यता के आधार पर इनका चयन भी हो जाता है किन्तु वर्तमान समय में प्राधिकरण में उन्हें स्नातकोत्तर योग्यता के लिये कोई प्रोत्साहन उपलब्ध नहीं है जिसकी वजह से से वे प्राधिकरण की सेवा छोड़कर उन विभागों अथवा संगठनों में जाने के लिये प्रयत्नशील रहते हैं जहाँ स्नातकोत्तर योग्यता के लिये विशेष प्रोत्साहन प्राप्त है। अतः इस प्राधिकरण में भी स्नातकोत्तर योग्यता रखने वाले तकनीकी अधिकारियों के लिये विशेष प्रोत्साहन होना चाहिए। यह प्रोत्साहन स्नातकोत्तर भत्ते के रूप में दिया जा सकता है। इस बिषय पर उत्तर प्रदेश शासन के वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश जी-1-207/दस-208/73 दिनांक 21-1-74 तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा पारित बैठक दिनांक 4-7-79 के बिषय संख्या

- 15 पर किये गये निर्णय का उद्धरण देखा गया। विस्तारपूर्वक विचार विमर्श करने के उपरान्त यह निर्णय किया गया कि इस प्राधिकरण में भी स्नातकोत्तर योग्यता रखने वाले तकनीकी अधिकारियों को प्रोत्साहन स्वरूप स्नातकोत्तर भत्ता दिया जायेगा। यह भी निर्देश दिया गया कि प्रस्तुत शासनादेश काफी पुराना है और सम्भव है कि इस बीच भत्ते की दर में संशोधन हो गया हों। अतः नवीनतम शासनादेश प्राप्त किया जाये और उसमें जो दर व अर्हतायें निर्धारित हैं उसके अनुसार भत्ता दिया जाये। इसी प्रकार जब भी नये अधिकारी की नियुक्ति होगी नवीनतम शासनादेश के अनुसार भत्ता दिया जायेगा।

#### मद संख्या - 8

सूरजकुण्ड को पर्यटन स्थली के रूप में विकसित करने के लिये कुण्ड के समीपस्थि भूखण्ड संख्या 4821 और 4823 के अर्जन पर विचार।

सूरजकुण्ड के विकास की जो योजना निर्माणाधीन है उसे पूर्ण करने के लिये पूर्वी किनारे पर स्थित भूखण्ड संख्या - 4821 और 4823 का अर्जन आवश्यक है। जहाँ इस योजना के अन्तर्गत पार्क तथा रेस्ट्रा बनाने की योजना है। अतः इस कार्यके लिये इस भूमि का अर्जन आवश्यक हो गया है। महायोजना में इस भूमि का उपयोग सांस्कृतिक एवं स्मारक सम्बन्धी है। विचारोपरान्त भूखण्ड संख्या 4921 एवं 4823 कुल कुल क्षेत्रफल 2 बीघा 3 बिस्वा इस योजना के लिये अर्जित करने की अनुमति प्रदान की गयी।

#### मद संख्या - 9

नियोजन अनुभाग के लिये एक जीप के क्रय का प्रस्ताव।

परिक्षेत्रीय योजनाओं की तैयारी के लिये तथा महायोजना संशोधन के लिये प्राधिकरण की बैठक दिनांक 23-2-82 में एक प्रकोष्ठ स्थापित करने का निर्णय किया गया था। इस प्रकोष्ठ की स्थापना की जा चुकी हैं सहायक नगर नियोजक के अलावा सभी कर्मचारी नियुक्त हो गये हैं। सहायक नगर नियोजक की भर्ती भी शीघ्र होने वाली है। आजकल सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है। इस समय इस सर्वेक्षण पर नियोजन अनुभाग के अधिकारियों के पर्याप्त मार्गदर्शन

तथा नियन्त्रण की आवश्यकता हैं यह कार्य बिना गाड़ी के सम्भव नहीं है जबकि प्राधिकरण की वर्तमान दो गाड़ियाँ इन अधिकारियों के उपयोग के लिये उपलब्ध होना असम्भव है। इसके अलावा निजी विकास के सम्बन्ध में जो नियन्त्रणात्मक कार्यवाही हो रही है वो भी इसी अनुभाग के अन्तर्गत हैं। इस कार्यवाही में प्रायः स्थल निरीक्षण की आवश्यकता पड़ती है। जिन अनाधिकृत निर्माणों को गिराने के आदेश पारित कर दिये जाते हैं उनको कार्यान्वित करने के लिये भी जीप की महती आवश्यकता है ताकि गिराने वाले दल को उसमें बिठाकर पहुँचाया जा सके। अतः यह प्रस्ताव है कि नियोजन अनुभाग के उपयोग के लिये एक जीप क्रय करने की अनुमति प्रदान की जाये। विचार-विमर्श के उपरान्त इस अनुभाग के लिये एक जीप के क्रय की माँग उचित अनुभव हुई किन्तु उपसचिव, वित्त विभाग श्री केंको०सिन्हा ने बताया कि हाल ही में शासनादेश संख्या 76/दस-सं०वि०-1983 वित्त संसाधन (विविध) अनुभाग, दिनांक 12-1-83 जारी हुआ है जिसके अनुसार गाड़ियों के क्रय पर रोक लगायी गयी है। उन्होंने यह भी बताया कि यह शासनादेश प्राधिकरणों पर भी लागू होता है। इस शासनादेश के अनुसार यदि जीप का क्रय आवश्यक हो तो विशेष परिस्थितियों के आधार पर शासन के सम्बन्धित विभाग से अनुमति ली जानी चाहिए। उन्होंने शासनादेश की प्रतिलिपि भी पटल पर प्रस्तुत की। इस शासनादेश पर विचार करने के उपरान्त यह निर्णय किया गया कि जीप का क्रय तभी किया जाये जब यह निश्चय कर लिया जाये कि यह शासनादेश प्राधिकरण पर लागू नहीं है और यह लागू है तो तब किया जाये जब आवास विभाग की अनुमति प्राप्त होजाये।

### मद संख्या - 10

**कार्यालय के लिये 3+9 पी०बी०एक्स० की स्वीकृति का प्रस्ताव।**

वर्तमान समय में प्राधिकरण के कार्यालय में एक टेलीफोन है जिसके दो एक्सटेंशन हैं अधिकारियों की संख्या तथा आवश्यकता को देखते हुए यह व्यवस्था अपर्याप्त है। अतः यह प्रस्ताव है कि नये भवन में 3 + 9 पी०बी०एक्स० की व्यवस्था स्थापित की जाये। टेलीफोन विभाग से पता

चला है कि इस स्थापना पर ₹ 500/- का व्यय आयेगा और ₹ 1200/- रुपये बार्षिक किराया देय होगा। यह भी ज्ञात हुआ है कि वर्तमान टेलीफोन अभ्यर्पित करने पर टेलीफोन विभाग इस व्यवस्था को तत्काल उपलब्ध करा देगा। विचारोपरान्त यह निर्णय किया गया कि वर्तमान टेलीफोन व्यवस्था के स्थान पर 3 + 9 पी०बी०एक्स० व्यवस्था स्थापित करा ली जाये।

### मद संख्या - 11

**संशोधित बजट वर्ष 1982-83 तथा मूल बजट वर्ष 1983-84 की स्वीकृति का प्रस्ताव।**

वर्ष 1982-83 को संशोधित आय-व्ययक तथा वर्ष 1983-84 का प्रस्तावित आय-व्ययक पटल पर स्वीकृति के लिये प्रस्तुत किया। अधिकांश सदस्यों ने यह मत व्यक्त किया कि सम्पूर्ण आय-व्यय की स्वीकृति बजट के सामयिक अध्ययन के उपरान्त देना ज्यादा उचित होगा। तदनुसार यह निर्णय किया गया कि आय-व्ययक की स्वीकृति के लिये अप्रैल के अन्त तक प्राधिकरण की विशेष बैठक बुला ली जाये ताकि इस बीच सदस्य आय-व्यय का अध्ययन कर सकें। वर्ष 1983-84 के लिये प्रस्तावित व्यय का 20 प्रतिशत भाग अप्रैल तथा मई 1983 की अवधि का काम चलाने के लिये स्वीकृत किया गया।

बाहिर घरेलू शोध उपलब्ध करायी जाये।

### मद संख्या - 12

**अन्य मद**

अन्य मद के अन्तर्गत निम्नलिखित बिषय अध्यक्ष की अनुमति से विचारार्थ प्रस्तुत हुए।

(1) विशेष अतिथि के रूप में आमन्त्रित मेरठ क्षेत्र के मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग ने यह निवेदन किया कि मेरठ नगर के सर्वांगीण सुधार तथा सुनियोजित विकास के कार्य में ३०प्र०आवास विकास परिषद, नगर महापालिका, शिविर पालिका, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जलनिगम तथा ३०प्र०राज्य विद्युत परिषद का अपना-अपना दायित्व है जबकि ऐसा कोई मंच नहीं है जिससे इन सभी विभागों एवं संस्थाओं के कार्य में समन्वय स्थापित

हो सके। अतः इस कार्य के लिये कोई समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय ने यह विचार व्यक्त किया कि प्राधिकरण ऐसी संस्था है जो इस प्रकार का समन्वय तथा सामंजस्य कर सकती है तथा प्राधिकरण में उ०प्र०आवास विकास परिषद, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उ०प्र०राज्य विद्युत परिषद तथा जलनिगम के प्रतिनिधियों को सदस्य बनाया गया है। यदि शिविर पालिका के प्रतिनिधि को भी सदस्य बना लिया जाये तो उद्देश्य पूरा हो जायेगा। विचारोपरान्त यह निर्णय किया गया कि प्राधिकरण ही यह दायित्व पूरा करेगा। शिविर पालिका के अध्यक्ष को प्राधिकरण के सदस्य के रूप में नामांकित करने का अनुरोध शासन से किया जाये और जब तक नामांकन न हो उन्हें विशेष आमन्त्रिती के रूप में प्राधिकरण की बैठक में बुलाया जाये।

(2) सार्वजनिक निर्माण विभाग के मुख्य अभियन्ता ने बताया कि दिल्ली रोड के बाईपास का निर्माण धन की कमी के कारण अधूरा है जबकि बढ़ते हुए यातायात को दृष्टिगत करते हुए बाईपास पूरा करना बहुत आवश्यक है। यह अनुभव किया गया कि यातायात की बढ़ती हुए समस्या को देखते हुए दिल्ली - रुडकी रोड काफी असुरक्षित हो गया है और वाहनों के आने-जाने में काफी बिलम्ब होता है। ऐसी स्थिति में बाईपास का शीघ्रतिशीघ्र पूरा होना आवश्यक है। अतः यह निर्णय किया गया कि प्राधिकरण की ओर से शासन से अनुरोध किया जाये कि मेरठ बाईपास रोड के अवशेष भाग को पूरा करने के लिये बाँछित धनराशि शीघ्र उपलब्ध करायी जाये।

इसके बाद अध्यक्ष द्वारा उपस्थिति सदस्यों को धन्यवाद देते हुए बैठक समाप्त की गयी।

ह०/-

सचिव

23-4-83

पुष्टि की गयी।

ह०/-

( आर०डी० सोनकर )

अध्यक्ष

मेरठ विकास प्राधिकरण

मेरठ।